राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस–नोट :–

दिनांक : 20.10.2015

आयोग द्वारा दिनांक 18.10.15 को आयोजित **सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2015** में उदयपुर जिले के परीक्षा केन्द्र सं. 33/0103, 33/0104, 33/0105, 33/0106, 33/0107 एवं अलवर जिले के एक परीक्षा केन्द्र सं. 02/0190 पर सर्वर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण प्रथम प्रश्न पत्र– विधि (Law) की परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। अतः उक्त 06 परीक्षा केन्द्रों की दोनों सत्रों की परीक्षा आयोग के निर्णयानुसार पुनः **दिनांक 25.10.2015 को प्रातः 10.00 बजे से 01.00 बजे तक एवं दोपहर 3.00 बजे से 5.00 बजे तक जयपुर जिला मुख्यालय** पर आयोजित की जा रही है।

द्वितीय प्रश्न पत्र में उक्त केन्द्रों के वे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सम्मिलित हो गए थे, **उनके लिए यह विकल्प होगा** कि यदि वे चाहे तो पुनः आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं अन्यथा पूर्व में दी गई परीक्षा मान्य होगी एवं उसी के आधार पर अभ्यर्थी का परिणाम निकाला जायेगा। दिनांक 25.10.2015 को आयोजित होने वाली द्वितीय सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम पुनः दी गई परीक्षा के आधार पर ही जारी किया जायेगा।

अभ्यर्थी अपना नया प्रवेश–पत्र मय उपस्थिति–पत्र के आयोग के वेबपोर्टल https://rpsconline.rajasthan.gov.in से आवेदन–पत्र क्रमांक (Application I.D.) से पुनः डाउनलोड कर, एक फोटो एवं कोई फोटो पहचान–पत्र अवश्य लेकर अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा समय से 30 मिनट पूर्व उपस्थित होवें।

(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव